

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ 15 (10) 2015-16 / गोप्र/प्रमुवस/प्र.अ./2328-2346/दिनांक 22 जुलाई, 2015
निमित,

मुख्य वन संरक्षक

उप वन संरक्षक

विषय:-कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर^{पदोन्नति} दिये जाने बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्ष 2015-16 के कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक के पदों को पदोन्नति से भरे जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1160-1171/सी दिनांक 27.5.2015 द्वारा वॉछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में भिजवाए जाने हेतु लिखा गया था तत्पश्चात पत्रांक 1593-1613/सी दिनांक 24.6.2015 द्वारा वॉछित सूचना एक सप्ताह में भिजवाने हेतु स्मरण कराये जाने के पश्चात भी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आपकी सूचना के अभाव में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः संलग्न सूची में अंकित कर्मचारियों के संबंध में वॉछित सूचना तीन दिवस में आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवावें ताकि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित किया जाना संभव हो सके। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

संलग्न:- सूची

भवदीय

Shivam
(शिखा मेहरा)

मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राज.जयपुर

**सहायक कार्यालय अधीक्षक से कार्यालय अधीक्षक कम प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति दिए जाने हेतु
पात्र कर्मचारियों की बकाया सूचना एवं ए.सी.आर. की स्थिति**

क्र.स.	नाम कर्मचारी	पिता का नाम	एस.सी. /एस.टी.	पदस्थापन कार्यालय का नाम	सेवा विवरण एवं जाच दण्ड की सूचना	संतान संबंधी शपथ पत्र	बकाया ए.सी.आर
1	सत्येनद्र कुमार शर्मा	देवी सहाय		कार्यालय हाजा	-	-	13-14
2	रसिक बिहारी	नन्द किशोर		कार्यालय हाजा	-	-	1.4.10 से 26.8.10
3	लीला दुग्गड	निर्मल कुमार दुग्गड		मुख्य वन संरक्षक जोधपुर	अप्राप्त	अप्राप्त	
4	प्रकाश चन्द बोहरा	बंशी लाल		मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर	अप्राप्त	अप्राप्त	
5	विनोद कुमार राका	शिव लाल		मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर	अप्राप्त	अप्राप्त	
6	पित राम मीणा	धना लाल	एस.टी.	मुवस भरतपुर	-	-	12-13 पार्ट-I, 13-14
7	गजानन्द मीणा	मोहन लाल	एस.टी.	मुवस भरतपुर	अप्राप्त	अप्राप्त	
8	अशोक कुमार अगाननी	गोपी चन्द		मुवस वन वर्धन जयपुर	अप्राप्त	अप्राप्त	
9	मदन लाल लालर	हरजीराम	एस.सी.	उप वन संरक्षक वन्यजीव राजसमन्द	अप्राप्त	अप्राप्त	08-09 पार्ट-I (1.4.08 से 8.9.08, 12-13 पार्ट-I)
10	मोहन लाल भील	मीठा लाल	एस.टी.	उप वन संरक्षक, सिरोही	अप्राप्त	अप्राप्त	
11	भवानी शंकर	दुर्गा के		उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर	अप्राप्त	अप्राप्त	
12	राधेश्याम यादव	हरि प्रसाद	एस.सी.	उप वन संरक्षक, उदयपुर	-	-	प्राप्त
13	मालाराम	राजाराम	एस.सी.	उप वन संरक्षक, वन्यजीव उदयपुर	-	-	13-14
14	श्रीमति मारग्रेट फर्नाडिज	सिलारा फिलक्स		उप वन संरक्षक, जोधपुर	अप्राप्त	अप्राप्त	
15	सुकिया राम	पन्नाराम		उप वन संरक्षक, जालौर	अप्राप्त	अप्राप्त	
16	कुलदीप नारायण बारूपाल	तुलसी राम	एस.सी.	उवस बोकानेर	अप्राप्त	अप्राप्त	
17	केवल चन्द मीणा	राज पाल	एस.टी.	उवस बाघ परि. करोली	अप्राप्त	अप्राप्त	
18	श्रीमति रूपवन्ती	प्रभु लाल मईडा		उवस बासंवाडा	अप्राप्त	अप्राप्त	
19	भरत लाल पारगी	टीटा जी		उवस झूगरपुर	अप्राप्त	अप्राप्त	
20	नन्द किशोर कर्दम	दाताराम	एस.सी.	उवस वन्यजीव भरतपुर	अप्राप्त	अप्राप्त	
21	जनक सिंह राठौड	लादू सिंह		उवस जैसलमेर	अप्राप्त	अप्राप्त	
22	कमला शर्मा	राजेनद्र प्रसाद शर्मा		अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता, जयपुर	अप्राप्त	अप्राप्त	

शपथ—पत्र

नोट:- शपथ-पत्र के क्रम संख्यां जो सम्बन्धित नहीं हो, उन्हें काट दिया जावें। उक्त शपथ-पत्र १० रुपये के नोन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर भरा जावें।

मैं _____ पुत्र श्री _____ उम्र _____ वर्ष _____ पद वनपाल
कार्यालय _____ पर पद स्थापित हूँ जो कि शपथ-पूर्वक निम्न प्रकार बयान करता हूँ:-

1. यह है कि दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात मेरे जीवित संतानों की संख्या _____ रो अधिक नहीं है।
2. यह है कि मेरे दिनांक 01.06.2002 से पूर्व की _____ जीवित संतान/संताने हैं। दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात जीवित संतानों में वृद्धि नहीं हुई है।
3. यह है कि मेरे प्रसव (डीलिवरी) से एक जीवित संतान है और बाद में एक प्रसव (डीलिवरी) से _____ जीवित संताने और पेदा हुई है।
4. यह है कि मेरे 2 से अधिक संताने हैं, जिनका विवरण उपरोक्त 1 से 3 तक के विवरण से मेल नहीं खाता है।

शपथ—गृहिता

सत्यापन

मैं _____ पुत्र श्री _____ उक्त शपथ-पत्र की उपरोक्त 1 से 4 को अपने निजी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सही होना सत्यापित करता हूँ। ईश्वर मेरी भदद करें।

सत्यापन—कर्ता

स्थान:-

दिनांक:-

प्रपत्र "अ"

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	जन्म तिथि	सेवापुस्तिका में अंकित गृह जिला	नियुक्ति तिथि		योग्यता	
				राज्य सेवा में	संवर्ग में	शैक्षणिक	तकनीकी
1	2	3	4	5	6	7	8

सीसीए नियम 1958 के तहत लम्बित विभागीय जाँच/भ्र.नि.ब्यूरौ में लम्बित केस/लम्बित कोर्ट केस का विस्तृत विवरण	दिनांक 31.03.2007 के बाद दिये गये दण्ड का विवरण	जीवित संतानों की संख्या (सम्बन्धित क्षेत्रीय द्वितीय से 10/- रुपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्राप्त कर संलग्न करें।		विशेष विवरण	
		31.05.2002 को	31.05.2002 के बाद उत्पन्न हुई संतान		
9	10	11	12	13	